

निविदा सूचना

कु0म0वि0नि0लि0 नैनीताल में पंजीकृत सिविल भवन सम्बन्धी कार्य करने वाले ठेकेदारों से बन्द लिफाफे में निविदा दिनांक 12.02.2021 को अपरान्हन 1.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन 2.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के सम्मुख गठित समिति द्वारा खोली जायेंगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 28.01.2021 से दिनांक 11.02.2021 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में निर्धारित शुल्क (जी0एस0टी0 सहित) जमाकर प्राप्त की जा सकती है। निविदा सम्बन्धी समस्त जानकारी निगम वेबसाईड www.kmfvn.in एवं किसी भी कार्य दिवस में निगम कार्यालय में देखी जा सकती है, तथा संसोधन भी निगम वेबसाईड के माध्यम से ही किया जायेगा।

क्र. सं.	कार्य का नाम	निविदा प्रपत्र का मूल्य	धरोहर राशि (रु0)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा की वैधता	श्रेणी (भवन)
1.	कोटभ्रामरी, जिला बागेश्वर में सांस्कृतिक मंच का विकास कार्य।	2360.00	46000.00	06 माह	02 माह	"बी" एवं उच्चतर
2.	रामलीला भवन गरुड़ का सौन्दर्यीकरण।	1770.00	28000.00	04 माह	02 माह	"सी" एवं उच्चतर
3.	पर्यटक आवास गृह, पदमपुरी में छत में वाटर प्रुफिंग एवं पतनाले लगाने का कार्य।	590.00	7000.00	02 माह	01 माह	"डी" एवं उच्चतर
4.	विधायक निधि हल्द्वानी के अन्तर्गत अमरावती कालोनी फेज-1 में मेन रोड से के.के. पन्त के मकान तक एवं आस पास सी0सी0 रोड व नाली का कार्य	1770.00	40,000.00	02 माह	01 माह	"सी" एवं उच्चतर
5.	नैनीताल नगर क्षेत्र में रोप वे लोअर टर्मिनल के समीप गैस कार्यालय कक्ष का निर्माण।	1770.00	24000.00	03 माह	01 माह	"सी" एवं उच्चतर
6.	ए0टी0आई0 नैनीताल में निदेशक कार्यालय कक्ष में सीलिंग का कार्य।	590.00	10,000.00	01 माह	01 माह	"डी" एवं उच्चतर
7.	ए0टी0आई0 नैनीताल में निदेशक कार्यालय कक्ष का उच्चीकरण एवं आधुनीकरण का कार्य।	1180.00	12000.00	01 माह	01 माह	"डी" एवं उच्चतर
निर्माण खण्ड (ई निविदा)						
8.	प0आ0गृह, माल रोड, रानीखेत में उच्चीकरण का कार्य।	उक्त से सम्बन्धित सूचना www.uktenders.gov.in में देखी जा सकती है।				

शर्तों— किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय एवं www.kmfvn.in में देखी जा सकती है। यदि उपरोक्त पर कोई संसोधन किया जाता है तो उसकी सूचना केवल निगम की वेबसाईड के माध्यम से प्रदर्शित की जायेगी।

निविदादाता को निम्न शर्तों का पालन करना अनिवार्य है।

- 1-निविदा केवल निगम में पंजीकृत ठेकेदारों को ही विक्रय की जायेगी तथा उनके द्वारा निविदा प्रपत्र क्य करने से पूर्व पंजीयन प्रमाण-पत्र तथा सम्बन्धित कार्य की धरोहर धनराशि निर्धारित प्रारूप में (एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0/कॉल डिपोजिट के रूप में महाप्रबन्धक, कु0म0वि0नि0 के नाम बन्धक होनी चाहिए) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 2-निविदादाता को जी0एस0टी0, आयकर प्रमाण पत्र में पंजीकृत होना आवश्यक है। जिसकी छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- 3-निविदा के साथ रू0 100.00 का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मय हस्ताक्षरयुक्त रू0 1.00 का रेवेन्यू टिकट के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
- 4-अपूर्ण, सशर्त एवं संदिग्ध निविदा किसी दशा में मान्य नहीं होगी।
- 5-निविदा में मात्राएँ घटाई एवं बढ़ाई जा सकती हैं जिसमें ठेकेदार का कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 6-अनुबन्ध गठन हेतु बुलाये गये समय तथा अनुबन्ध गठन करने के एक सप्ताह के अन्दर यदि कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया, तो निविदा/अनुबन्ध की धरोहर/जमानत धनराशि नियमानुसार जब्त की जायेगी।
- 7-अधोहस्ताक्षरकर्ता को एक या एक से अधिक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- 8-अनुबन्ध गठित करने पर शासनादेशों के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी लगाना आवश्यक है।
- 9-निर्माण कार्य की गुणवत्ता निम्न स्तर की पायी जाती है या त्रुटिपूर्ण माप के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान होने के कारण शासन को हानि भी पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस हानि की धनराशि की वसूली शासनादेश संख्या 983/23-999-11/96 लो.नि.वि. के अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 12 मई, 1999 के अनुच्छेद (2) निहित प्राविधानों अनुसार की जायेगी।
- 10-यदि शासन/उच्च अधिकारियों द्वारा किसी अपरिहार्य कारणवश निर्माण कार्य को रोकने के आदेश दिये जाते हैं तो ठेकेदार को उसी स्थिति में कार्य रोकना पड़ेगा तथा ठेकेदार केवल किये गये कार्य के भुगतान का दावेदार होगा। शेष कार्य हेतु ठेकेदार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- 11-निविदा की तिथि को अवकाश होने की दशा में निविदा अगले कार्यदिवस को खोली जायेगी।
- 12-निविदा की दरें प्रतिशत में ही मान्य होगी। जो कि अंक एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखा जाना अनिवार्य है।
- 13-ठेकेदार द्वारा धरोहर राशि के रूप में जमा की जाने वाली निर्धारित धनराशि अलग-अलग कार्यों हेतु मूल में अलग-अलग जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।
- 14- क्रम संख्या (1) एवं (2) के निर्माण कार्य शासन से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष ही कराये जायेंगे।

महाप्रबन्धक